संख्या : 394/III(1)/17–02(13)/जांच/17

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2017

विषय– आरोपी अधिकारी को दी जानी वाली चार्जशीट पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर करने अथवा न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र संख्या–489/पौड़ी/16, दिनांक 28.03.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आरोपी अधिकारी को दिये जाने वाले आरोप पत्र पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाने अथवा नही किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन), 2010 में स्पष्ट प्राविधान दिया गया है कि अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा, जिसे आरोप पत्र कहा जायेगा। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहां आरोप पत्र सम्बन्धित विभाग के यथास्थित प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

3– उपरोक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 एवं तत्सम्बन्धी संशोधन नियमावली, 2010 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या– —— /III(1)/17–02(13)/जांच/17 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को उनके पत्र दिनांक 28.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।

394/III(1)/17

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,पौड़ी

दूरभाष न0 01368–222374,72–221201 E-mail- cepwdgarhwal@rediffmail.com

पत्रांकः 489/ पौडी /16 दिनाक :– 28.03.2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः– आरोपी अधिकारी को दी जाने वाली चार्जशीट पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर करने अथवा न करने के संबंध में।

महोदय,

मैने अभी हाल में IAHE(Indian Academy of Highway Engineers) में Management Development Programe पर एक कोर्स Attend किया था जिसमें DOPT के एक सेवा निवृत्त Joint secretary द्वारा अपने व्याख्यान में बताया कि आरोपी अधिकारी को दी जाने वाली चार्जशीट पर केवल नियुक्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर जांच अधिकारी को कदापि हस्ताक्षर नही करना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी एक निष्पक्ष अधिकारी होता है तथा वह आरोपों के निर्धारण में पार्टी नही होता है।

किन्तु शासन द्वारा जो आरोप पत्र जांच अधिकारी को प्रेषित किये जा रहे हैं उनमें नियुक्ति अधिकारी/अनुशासनिक अधिकारी के स्थान पर सचिव/प्रभारी सचिव अंकित किया जाता है तथा दाहिनी ओर जांच अधिकारी लिखा जा रहा है।।

कृपया दिग्दर्शित करने की कृपा करें कि क्या उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जांच अधिकारी को आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए अथवा नही।

(लोकेश कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लो0नि0वि0,पौड़ी

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 237 / कार्मिक–2 / 2003–55(25) / 2002
देहरादून, 06 मार्च, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(घ) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम–7 के अधीन जाँच से है;

(ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम–6 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य–कलापों के संबंध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय–समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य–कलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों से है।

शास्तियाँ

3. निम्नलिखित शास्तियाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेंगी :–

(क) लघु शास्तियाँ–

(एक) परिनिन्दा;

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना;